प्रकरण संख्या 102/2015 धनराज बनाम कालूलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.03.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एक वाद धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बड़गांव में वाद पत्र के परिशिष्ट ''क'', ''ख'' व ''ग'' की भूमियां स्थित हैं, जिसमें वादी का उनके अंकित हिस्सा दर्ज है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। खातेदार मांगीबाई एवं शान्तिलाल फोत हो चुके हैं, जिनके जायज वारिस हैं एवं विरासत से वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा बराबर से निहित हुई, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 वादी को नुकसान पहुंचाने एवं स्वयं द्वारा नाजायज लाभ अर्जित करने की नियत से मांगीबाई एवं शान्तिलाल के नाम अंकित भूमि को राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम अंकित करवा अन्य लोगों को हस्तान्तरित करवाने पर आमादा हैं। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट ''क'' में अंकित भूमि में वादी को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट ''ख'' में अंकित भूमि में वादी को 3/32 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 3/32 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। इसी तरह वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट 'ग'' में अंकित भूमि में वादी को 1/8 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 01.07.2015 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 26.11.2015 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना [illegible] किया गया एवं निवेदन किया कि अपीलान्ट को [illegible] निर्णय व डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 26.10.2[illegible] को हुई। जानबूझकर	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:00 IST
Reason: SelfAttested

कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः देरी को कण्डोन फरमाया जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो पाया कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था तथा उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी होने की प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध न हीं है। अतः न्यायहित में देरी को कण्डोन फरमाया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा धारा 96 जा.दी का आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि विवादित आराजी नंबर 653/1, 653/2, 654, 662/3 कुल किता 4 रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा भूमि तोलाराम जी की स्वअर्जित होने से उनके द्वारा दिनांक 07.10.1978 को अपीलान्ट व उसके भाई मगनीराम व दलीचन्द के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत की गयी तब से अपीलान्ट व उसके भाई काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा आराजी नंबर 517/2, 637, 638, 652, 754 से 758, 1059, 1067 से 1070, 1072 से 1074, 1081, 1087, 1088 कुल किता 21 रकबा 53 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के पिता हीरा जी के खातेदारी एवं आधिपत्य की थी, जो उनकी मृत्यु के बाद विरासत से अपीलान्ट व उनके भाई मगनीराम, दलीचन्द व बद्रीलाल के नाम दर्ज हुई, लेकिन बद्रीलाल का इसमें कोई हक व अधिकार नहीं है, क्योंकि बद्रीलाल तोलीराम के गोद चला गया था एवं तोलीराम की जायजाद पर काबिज है। कथित निर्णय व डिक्री से अपीलान्ट व उसके भाईयों के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो पाया कि अपीलान्ट व उसके भाई मगनीराम व दलीचन्द द्वारा इन्हीं आराजियात बाबत् बद्रीलाल के विरूद्ध घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का एक वाद उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के यहां प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रतिवादी बद्रीलाल द्वारा जवाबदावा एवं काउण्टर क[illegible] प्रस्तुत किया गया था। तदनुसार हम अपी[illegible] को [illegible] में [illegible] पक्षकार पाते हैं एवं अपील प्रस्तुत क[illegible] करते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Choudhari
Date: 2021.03.23 12:37:00 IST
Reason: Self Attested

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण प्रश्न है, अधिनस्थ

प्रकरण संख्या 102/2015 धनराज बनाम कालूलाल व अन्य

न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी जाकर बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करना चाहे जाने पर उन्हें लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया एवं रेस्पोन्डेन्ट को भी लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, किन्तु दोनों ही पक्षों में से किसी के द्वारा भी लिखित बहस प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रकरण में बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण आदेश 1 नियम 10 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के जवाब में नियत थी, किन्तु बिना जवाब लिये प्रार्थना पत्र पर बिना कोई निर्णय किये नियत पेशी दिनांक 03.09.2015 से पूर्व ही प्रकरण राजस्व कैम्प रखकर दिनांक 01.07.2015 को निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण आदेश 1 नियम 10 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु नियत था, किन्तु बिना जवाब लिये एवं बिना प्रार्थना पत्र पर निर्णय किये नियत पेशी दिनांक 03.09.2015 के पूर्व ही दिनांक 01.07.2015 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं उनकी साक्ष्य लेकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.05.2021 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:00 IST
Reason: SelfAttested

(एम. एल. चौहान)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर